संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2550294
Email:- shakha2@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

पत्र क्रमांक 4/2/7/0001/2025/ 24006 भोपाल, दिनांक 17/11/2025
ई-मेल

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
मध्यप्रदेश ।

2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद / नगर परिषद
मध्यप्रदेश ।

विषयः- एम आईसी / पीआईसी की बैठक नियमित रूप से आयोजित किये जाने के संबंध में।

-00-

विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 में नगर निगमों में मेयर-इन-कांउसिल का गठन का प्रावधान है। इसी प्रकार नगर पालिका / नगर परिषदों मे प्रेसीडेंट-इन-कांउसिल के गठन के प्रावधान मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 में है।

मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर-इन-कांउसिल / प्रेसिडेंट-इन-कांउसिल के कामकाज संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य) नियम 1998 में एमआईसी / पीआईसी के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी प्रावधान है।

उपरोक्त नियम 1998 के नियम 15 मे मेयर-इन- कांउसिल / प्रेसिडेंट-इन-कांउसिल की बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी आयोजित की जा सकती है। परंतु बैठक इस प्रकार से आयोजित की जाएगी जिसमें कोई भी प्रकरण 10 दिन से अधिक लंबित न रहे।

शासन के यह संज्ञान में आया है कि एमआईसी / पीआईसी की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं हो रही है। जिसके पारिणामस्वरूप शासन की योजनाओं, निकायों के विकास कार्यों एवं जनकल्याण संबंधी कार्यो के निराकरण में विलंब होता है।

उपरोक्त प्रावधान एवं वर्णित वस्तुस्थिति के अनुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि एमआईसी / पीआईसी की बैठक विधि अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायें।

(दिव्यांक सिंह)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

Digitally signed by
Divyank Singh
Date: 13-11-2025
12:12:06

पृ० क्रमांक/4/2/7/0001/2025/ 24007 भोपाल, दिनांक 17/11/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. निज सहायक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश ।

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

Shri Abhilash
Pl. upload on website.
20/11/25